रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/आषाढ़ 20, 1935

No. 343] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ASHADHA 20, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 475(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल मोटर परिवहन और मोटर मैकनिक काडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में, निरीक्षक (मोटर परिवहन), उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन), सहायक उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन), हैड कांस्टेबल (मोटर परिवहन), निरीक्षक (मोटर मैकेनिक), उप-निरीक्षक(मोटर मैकेनिक), सहायक उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक), हैड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक), कांस्टेबल (चालक) और कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक), मैकेनिक काडर में समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक काडर समूह 'ख' समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. चिकित्सीय योग्यता.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति और प्रोन्नति जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति भी है के लिए पात्र होंगे ।

7. गैर भारतीय नागरिकों की अपात्रता.— सिवाय केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी ।

8. अधिवर्षिता.—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास के पहले दिन के अपराह्न को जिसमें वह सतावन वर्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आयु प्राप्त कर लेता है, सेवा से निवृत्त हो जाएगा :

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख मास का पहला दिन है पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त हो जाएगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृति की आयु से परे विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा ।

9. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

10. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (मोटर परिवहन)	23* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) ।	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है । टिप्पण 1 : उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं, की बाबत प्रोन्नति के लिए सेवा की पात्रता अवधि का तीन वर्ष रहना जारी रहेगा ।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य सरकार के पुलिस संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं और प्रोन्नति के लिए यथाविहित चिकित्सा प्रवर्ग शेप 1 में हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. महानिरीक्षक /उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक (यदि विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता नहीं कर रहा हो) - सदस्य 3. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 4. उप कमांडेंट/सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन)	75* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) ।	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सशस्त्र बलों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति /पुनर्नियोजन है)

(11)
प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सहायक उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा या सहायक उप निरीक्षक (मोटर परिवहन)

और हैड कांस्टेबल (चालक) की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सम्मिलित सेवा की है जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सेवा सहायक उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) की श्रेणी में है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ।

__टिप्पण 1__ : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

__टिप्पण 2__ : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार विभागों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण कर रहे हैं, जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं ।

__टिप्पण__ 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

__टिप्पण__ 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

__टिप्पण__ 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

__भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन__

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं और प्रोन्नति के लिए यथाविहित चिकित्सा प्रवर्ग शेप 1 में हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है , तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. कमांडेंट या सेकेंड इन कमान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन)	14* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) ।	वेतन बैंड-1, 5200 - 20,200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सशस्त्र बलों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति /पुनर्नियोजन है)

(11)
प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (चालक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के

लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य सरकार के पुलिस संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं और प्रोन्नति के लिए यथाविहित चिकित्सा प्रवर्ग शेप 1 में हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. कमांडेंट या सेकेंड इन कमान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. हैड कांस्टेबल (चालक)	790* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)।	वेतन बैंड-1, 5200 - 20,200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति

(11)
प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (चालक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशा पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य सरकार के पुलिस संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कांस्टेबल (चालक)	2399* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)।	वेतन बैंड-1, 5200 - 20,200 रु0 + ग्रेड वेतन 2000 रु0	लागू नहीं होता	20 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तकक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)		(8)	(9)	(10)
(1) अर्हता : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान या समकक्ष से मैट्रिकुलेशन या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) हल्के या मध्यम या भारी यानों की वैध चालन अनुज्ञप्ति (परिवहन) सहित दो वर्ष का चालन का अनुभव । (iii) अधिकथित मानकों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभिरूचि परीक्षा, ट्रेड परीक्षा लिखित और व्यवहारिक परीक्षण में अनिवार्यत: उत्तीर्ण । (2) पुरूषों के लिए शारीरिक मानक: ऊंचाई : 170 सें.मी.		लागू नहीं होता	दो वर्ष ।	1. 90% सीधी भर्ती द्वारा 2. 10% आमेलन द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा
शिथिलीकरण : गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लेह और लदाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	165 सें.मी.			
पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.			
उपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जनजातियों और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों के सभी अभ्यर्थियों के लिए	160 सें.मी.			
उपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न अनुसूचित जनजातियों और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों के सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.			

13

सीना :	सामान्य	पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से पुरूष	सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातियां
बिना फुलाए	80 सें.मी.	78 सें.मी.	76 सें.मी.
फुलाए	85 सें.मी.	83 सें.मी.	81 सें.मी.

पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए

बिना फुलाए	77 सें.मी.
फुलाए	82 सें.मी.

वजन : चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु का समानुपाती ।

(3) चिकित्सा मानक

(i) दृष्टि : न्यूनतम सदूर दृष्टि बिना किसी सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने हुए दोनों आंखों में 6/6 और 6/9 होनी चाहिए ।

(ii) अभ्यर्थी के पैर अंर्तजानु या सपाट, फुली हुई नसें (वैरिकोज वेन्स) या आंखों से त्रियक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए । उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रूकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए ।

(4) शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा में अनिवार्यत: उत्तीर्ण ।

(11)
आमेलन द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए सिवाय शारीरिक क्षमता परीक्षण के, यथाविहित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हैं । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 2 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा । **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सशस्त्र पुलिस बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों के ऐसे कांस्टेबल जो उस पंक्ति में तीन वर्ष का न्यूनतम अनुभव रखते हैं और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए सिवाय शारीरिक क्षमता परीक्षण के, यथाविहित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हैं । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. निरीक्षक (मोटर मैकेनिक)	23* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) ।	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ।

टिप्पण 1 : उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं, की बाबत प्रोन्नति के लिए सेवा की पात्रता अवधि का तीन वर्ष रहना जारी रहेगा ।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य सरकार के पुलिस संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं और प्रोन्नति के लिए यथाविहित चिकित्सा प्रवर्ग शेप 1 में हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. महानिरीक्षक /उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक (यदि विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता नहीं कर रहा हो) - सदस्य 3. कमाडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 4. उप कमांडेंट/सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. उप-निरीक्षक (मोटर मैकेनिक)	114* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)।	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सशस्त्र बलों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति /पुनर्नियोजन है)

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सहायक उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा या सहायक उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) और हैड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सम्मिलित सेवा की है जिसमें से एक वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा सहायक उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) की श्रेणी में है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ।

<u>टिप्पण 1</u> : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

<u>टिप्पण 2</u> : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार विभागों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण कर रहे हैं, जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं ।

<u>टिप्पण</u> 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

<u>टिप्पण</u> 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

<u>टिप्पण</u> 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन : सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं और प्रोन्नति के लिए यथाविहित चिकित्सा प्रवर्ग शेप 1 में हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. कमांडेंट या सेकेंड इन कमान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. सहायक उप-निरीक्षक (मोटर मैकेनिक)	28* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) ।	वेतन बैंड-1, 5200 - 20,200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य सरकार के पुलिस संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. कमांडेंट या सेकेंड इन कमान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. हैड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक)	379* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)।	वेतन बैंड-1, 5200 - 20,200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)		(8)	(9)	(10)
(1) अर्हता : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 कक्षा उत्तीर्ण । (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक प्रमाणपत्र सहित उस ट्रेड में किसी विख्यात कार्यशाला में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा । (iii) अधिकथित मानकों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभिरूचि परीक्षा, ट्रेड परीक्षा लिखित और व्यवहारिक परीक्षण में अनिवार्यतः उत्तीर्ण । (2) पुरूषों के लिए शारीरिक मानकः ऊंचाई : 170 सें.मी.		लागू नहीं होता	दो वर्ष ।	60% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 40% सीधी भर्ती द्वारा
शिथिलीकरण : गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लेह और लदाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	165 सें.मी.			
पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.			
उपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जनजातियों और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों के सभी अभ्यर्थियों के लिए	160 सें.मी.			
उपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न अनुसूचित जनजातियों और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों के सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.			

सीना :	सामान्य	पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से पुरूष	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातियां

बिना फुलाए	80 सें.मी.	78 सें.मी.	76 सें.मी.
फुलाए	85 सें.मी.	83 सें.मी.	81 सें.मी.

पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए

बिना फुलाए	77 सें.मी.
फुलाए	82 सें.मी.

वजन : चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु का समानुपाती ।

(3) चिकित्सा मानक

(i) दृष्टि : न्यूनतम सदूर दृष्टि बिना किसी सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने हुए दोनों आंखों में 6/6 और 6/9 होनी चाहिए ।

(ii) अभ्यर्थी के पैर अंर्तजानु या सपाट, फुली हुई नसें (वैरिकोज वेन्स) या आंखों से त्रियंक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए । उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रूकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए ।

(4) शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा में अनिवार्यतः उत्तीर्ण ।

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नतिपूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,

इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

अन्यकेन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य सरकार के पुलिस संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जो उस क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं और स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक और अन्य अर्हता रखते हैं ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक)	269* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) ।	वेतन बैंड-1, 5200 - 20,200 रु0 + ग्रेड वेतन 2000 रु0	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) <u>टिप्पण 1</u> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)		(8)	(9)	(10)
(1) अर्हता : (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबद्ध ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र ; या (ग) किसी मान्यताप्राप्त फर्म से संबद्ध ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव । (2) पुरुषों के लिए शारीरिक मानक: ऊंचाई : 170 सें.मी.		लागू नहीं होता	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पद्धारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक के लिए दूर होने पर कारित रिक्तियों को नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा ।
शिथिलीकरण : गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लेह और लदाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	165 सें.मी.			
पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.			
उपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जनजातियों और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों के सभी अभ्यर्थियों के लिए	160 सें.मी.			
उपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न अनुसूचित जनजातियों और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों के सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.			

सीना :	सामान्य	पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से पुरुष	सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातियां
बिना फुलाए	80 सें.मी	78 सें.मी.	76 सें.मी.

फुलाए	85 से.मी.	83 से.मी.	81 से.मी.

पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए

बिना फुलाए	77 सें.मी.
फुलाए	82 सें.मी.

वजन : चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु का समानुपाती ।

(3) चिकित्सा मानक

(i) दृष्टि : न्यूनतम सदूर दृष्टि बिना किसी सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने हुए दोनों आंखों में 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ii) अभ्यर्थी के पैर अंर्तजानु या सपाट, फुली हुई नसें (वैरिकोज वेन्स) या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए । उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्त्तव्यों के कुशल निर्वहन में रूकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए । (4) शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा में अनिवार्यत: उत्तीर्ण ।

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. कमाडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -अध्यक्ष 2. उप कमाडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. I-12013/15/2009/ओआरजी]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव(कार्मिक-1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2013

G.S.R. 475(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Motor Transport and Motor Mechanic Cadre, Group 'B' and Group 'C' posts (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector(Motor Transport), Sub-Inspector(Motor Transport), Assistant Sub-Inspector(Motor Transport), Head Constable(Motor Transport), Inspector(Motor Mechanic), Sub-Inspector(Motor Mechanic), Assistant Sub-Inspector(Motor Mechanic), Head Constable(Motor Mechanic), Constable(Driver) and Constable(Motor Mechanic) in Motor Transport and Motor Mechanic Cadre, Group 'B' and 'C' posts in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Motor Transport and Motor Mechanic Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**— The number of posts, their classification and the pay band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.— No person,—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Manual Volume-III, shall be eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.

7. **Ineligibility of non-citizens of India** — No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. **Superannuation. — (1)** Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of Fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Motor Transport).	23* (2013) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-2, Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs. 4600/-.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
By Promotion: From amongst Sub-Inspector (Motor Transport) of Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered five years regular service in the grade and who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed. **Note 1.**— The eligibility period of service for promotion in respect of Sub-Inspector (Motor Transport), who are holding the post on regular basis, on the date of notification of these rules, shall continue to be three years. **Note 2.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By deputation:

Officers holding analogous post on regular basis from other Central Armed Police Forces or State Government Police Organisations possessing bachelor degree from a recognised university and having five years experience in related field.

Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Note 4.— For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation/re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications prescribed for deputation and being in Medical Category SHAPE-I as prescribed for promotion above shall also be considered, such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	**Circumstances in which Union Public Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group- 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :- 1. Inspector General/Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - **Chairman** 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force (If not presiding over departmental Promotion Committee) - **Member** 3. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 4. Deputy Commandant/Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	**Not applicable.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.Sub-Inspector (Motor Transport)	75* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band- 2, Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4200/-	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (inclusive of deputation/re-employment) of Armed Forces personnel

(11)

By Promotion:

From amongst Assistant Sub Inspector(Motor Transport) of Indo-Tibetan Border Police Force having six years regular service in the grade or ten years combined regular service as Assistant Sub Inspector(Motor Transport) and Head Constable(Driver) with minimum one year regular service in the grade of Assistant Sub Inspector (Motor Transport) and who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed.

Note 1. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2. - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By deputation:

Officers from the Central Government Departments or the Central Armed Police Forces or Police Organisations holding analogous post possessing bachelor degree from a recognised university and having five years experience in related field.

Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.— For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For ex-servicemen deputation/ re-employment:
The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date of on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:— 1. Deputy Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force — Chairman, 2. Commandant or Second in Command Indo-Tibetan Border Police Force — Member, 3 Deputy Commandant or Assistant Commandant Indo-Tibetan Border Police Force — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Sub-Inspector (Motor Transport)	14* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band- 1, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2800/-	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicab le	By promotion failing which by deputation (inclusive of deputation/re-employment) of Armed Forces personnel

(11)

By Promotion:

From amongst Head Constable (Driver) of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service in the grade and who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By deputation:

Officers holding analogous post on regular basis from other Central Armed Police Forces or State Government Police Organisations and having qualification of 12th class pass from a recognised board or institution and having five years experience in related field. .

Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Note 4.— For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For ex-servicemen deputation/ re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date of on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.